क्रम संख्या–106

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 08 जुलाई, 2011 ई0
आषाढ़ 17, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9

संख्या 413 / XXVII(9) / स्टाम्प–54 / 2008
देहरादून, 08 जुलाई, 2011

अधिसूचना

प0 आ0–82

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, उत्तराखण्ड स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (समूह "क") सेवा में भर्ती और उनमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं –

उत्तराखण्ड स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग (समूह "क") सेवा नियमावली, 2011

भाग – एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (समूह "क") सेवा नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (समूह "क") सेवा में समूह "क" के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–

(क) "**नियुक्ति प्राधिकारी**" से राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) "**संविधान**" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ग) "**सरकार**" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "**राज्यपाल**" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है,

(ड़) "**सेवा**" से उत्तराखण्ड स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, (समूह "क") सेवा अभिप्रेत है,

(च) "**सेवा का सदस्य**" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "**महानिरीक्षक निबंधन**" से महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ज) "**मौलिक नियुक्ति**" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार की गयी है;

(झ) "**भर्ती का वर्ष**" से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग – दो

संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी **परिशिष्ट "क"** में दी गयी है;

परन्तु यह कि राज्यपाल :–

(क) किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(ख) समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजित कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग – तीन
भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(क)	सहायक महानिरीक्षक, निबंधन (रू0 15,600–39,100, ग्रेड वेतन 6,600)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप–निबन्धकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उप–निबन्धक के पद पर श्रेणी–एक में 05 वर्ष और यदि श्रेणी–एक उपलब्ध न हो तो, श्रेणी–दो में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;
(ख)	उप महानिरीक्षक, निबंधन (रू0 15,600–39,100 ग्रेड वेतन 7,600)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक महानिरीक्षक निबंधन में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;
(ग)	अपर–महानिरीक्षक, निबंधन (रू0 37,400–67,000, ग्रेड वेतन 87,00)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप–महानिरीक्षक निबंधन में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से चयन समिति के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग – चार
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

अपर महानिरीक्षक, निबन्धन, उप–महानिरीक्षक निबंधन तथा सहायक महानिरीक्षक निबंधन के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

7. (1) अपर महानिरीक्षक, निबन्धन, उप–महानिरीक्षक, निबन्धन तथा सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित "उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से दिए गए मानदण्ड के आधार पर की जायेगी;

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक से संबंधित व्यक्ति सम्मिलित नहीं है तो अपर महानिरीक्षक निबन्धन के मामलें में सरकार के सचिव के स्तर का कोई अधिकारी और अन्य पदों पर पदोन्नति के मामलें में ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिसका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है, से संबंधित कोई अधिकारी, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो, चयन समिति के सदस्य के रूप में भाग लेना निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 एवं उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किए जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रकिया नियमावली, 2009 के उपबन्ध लागू होंगे।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता कम में, एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(4) चयन समिति उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(5) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता–कम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(6) अपर महानिरीक्षक, निबन्धन के पद पर चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

(क) मुख्य सचिव	–	**अध्यक्ष**
(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक	–	**सदस्य**
(ग) प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त	–	**सदस्य।**

(7) उप महानिरीक्षक, निबन्धन तथा सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन के पद पर चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	–	**अध्यक्ष**
(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक या उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी, जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो	–	**सदस्य**
(ग) महानिरीक्षक, निबन्धन	–	**सदस्य।**

भाग – पाँच

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

8. नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 7 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो।

परिवीक्षा

9. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाये;

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) उपनियम (3) के अधीन, जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाये, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता हैं।

स्थायीकरण

10. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा; यदि उसने–

(क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है, तथा

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता

11. (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं;

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनाँक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनाँक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनाँक माना जायेगा।

(2) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(3) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 20 के अनुसार तैयार की गई, संयुक्त सूची के नामों को चकीय कम में इस प्रकार कमांकित कर अवधारित की जाएगी कि विहित प्रतिशत बना रहे;

परन्तु यह कि –

(क) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जाती है, वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हों, नीचे कर दी जायेंगी।

(ख) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती है और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती है, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चकीय कम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा;

(ग) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध की गयी है।

भाग – छः

वेतन आदि

वेतनमान

12. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान **परिशिष्ट 'ख'** में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

13. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो। द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और संतोषजनक सेवा का कार्यालय ज्ञाप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा चुका है;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थाई सरकारी सेवा में हों परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य–कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–8

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

14. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

15. विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

16. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की भर्ती को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेशों द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत और सम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

17. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"

{नियम 4 का उपनियम (2) देखें}

क्र0 सं0	पद	कुल स्वीकृत पद	स्थायी	अस्थायी
1.	सहायक महानिरीक्षक, निबंधन	5	4	1
2.	उप-महानिरीक्षक, निबंधन	1	1	–
3.	अपर महानिरीक्षक, निबंधन	1	–	1

परिशिष्ट "ख"

{नियम 12 का उपनियम (2) देखें}

वेतनमान

क्रम संख्या	पद	वेतन बैंड (रूपये में)	ग्रेड वेतन (रूपये में)
1.	सहायक महानिरीक्षक, निबंधन	15,600 – 39,100	6,600
2.	उप– महानिरीक्षक, निबंधन	15,600 – 39,100	7,600
3.	अपर महानिरीक्षक, निबंधन	37,400 – 67,000	8,700

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 413/XXVII(9)/Stamp-54/2008, dated July 08, 2011 for general information :

No. 413/XXVII(9)/Stamp-54/2008
Dated Dehradun, July 08, 2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of **"the Constitution o India"**, and in super session of all existing rules and orders on the subject, the Governor i pleased to make the following rules regulating recruitment and condition of service of person appointed to the Uttarakhand Stamp and Registration (Group 'A') Service.

THE UTTARAKHAND STAMP AND REGISTRATION (GROUP 'A') SERVICE RULES, 2011

PART - I

GENERAL

Short title and Commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Stamp an Registration (Group 'A') Service Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force at once.

Status of the Service

2. The Uttarakhand Stamp and Registration Service is a Stat service, comprising posts of group 'A'.

Definitions

3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject c context -

(a) **'Appointing Authority'** means the Governor;

(b) **'Constitution'** means **"the Constitution of India"**;

(c) **'Government'** means the State Government of Uttarakhand;

(d) **'Governor'** means the Governor of Uttarakhand;

(e) **'Service'** means Uttarakhand Registration Department (Group A) Service;

(f) **'Member of the Service'** means a person appointed in a substantive capacity to a post in the cadre of the service under the provisions of these rules or of the rules in force prior to these rules;

(g) **'Inspector General Registration'** means Inspector General of Registration, Uttarakhand;

(h) **'Substantive appointment'** means an appointment, not being *an adhoc* appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance, with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government; and

(i) **'Year of recruitment'** means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART – II

CADRE

Cadre of Service

4. (1) The strength of service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Governor from time to time.

(2) Until orders varying the same are passed under sub-rule (1), the strength of service and each category of posts therein shall be given in **Scheduled "A";**

Provided that, the Governor :-

(a) may leave unfilled or may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(b) may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART - III

RECRUITMENT

Source of Recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :-

(a)	Assistant Inspector General Registration (Rs.15,600-39,100 Grade Pay 6,600)	By promotion shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such permanent Sub-Registrars, who have completed five years of service of Grade-I, if unavailability of grade-I sub-registrar then from amongst sub-registrar grade-II, who have completed 10 years of continuous service on the first day of year of recruitment;

(b)	Deputy Inspector General Registration (Rs.15,600-39,100 Grade Pay 7,600)	By promotion shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such Assistant Inspector General Registration, who have completed five years service as such in the post, on the first day of year of recruitment;
(c)	Additional Inspector General Registration (Rs.37,400-67,000 Grade Pay 8,700)	By promotion shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such Deputy Inspector General Registration, who have completed Seven years service as such in the post, on the first day of year of recruitment;

eservation

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Categories belonging to the State of Uttarakhand shall be made in accordance with the order of the Government in force at the time of the recruitment.

PART - IV

PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Procedure for recruitment to the post of Additional Inspector General Registration, Assistant Inspector General Registration and Deputy Inspector General Registration

7. (1) Recruitment by promotion on the post of Additional Inspector General, Registration, Assistant Additional Inspector General Regisgration and Deputy Inspector General Registration shall be made by the selection committee constituted as per the provisions of the Uttarakhand Constitution of the Departmental Promotion Committee (for the Posts Outside the Purview of the Public Services Commission) Rules, 2002, as amended from time to time, on basis of the prescribed standard;

Provided that if in the selection committee so constituted, no person is included from the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes, then such Castes/ Tribes and Classes, whose representation is not there in the selection committee, any officer of the State Government related to them, who is not below the rank of the Joint secretary, shall be directed to participate in the selection committee as member.

(2) For promotion on the above posts, in the State Service procedure of promotion in selection on basis of seniority and merit, rejecting the unfit, provisions of the Uttarakhand Govenremnt Servant (Standard for Recruitment by Promotion) Rules, 2004 and the Uttarakhand (Outside the Purview of the Public Service Commission) Rules, 2009 shall apply.

(3) Appointing Authority shall prepare the list of the eligible candidates and place it before the selection committee along with their character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper.

(4) Selection Committee will consider the names of the candidates on basis of the records referred to in sub-rule (3) and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(5) Selection Committee will prepare the list of the selected candidates as per the procedure laid down in the orders of the Government, relevant at the time of recruitment and forward it to the appointing authority.

(6) A selection comittee for selection on the post of Additional Inspector General Registration shall be constituted as follows :-

(a) Chief Secretary - **Chairman**

(b) Principal Secretary/Secretary, Personnel - **Member**

(c) Principal Secretary/Secretary, Finance - **Member.**

(7) A selection comittee for selection on the post of Assistant Inspector General Registration and Deputy Inspecter General Registrarion shall be constituted as follows :-

(a) Principal Secretary / Secretary Finance - **Chairman**

(b) Principal Secretary / Secretary, Personnel or any nominated officer by him, who is not less then rank of Joint Secretary **Member**

(c) Inspector General Registration -- **Member.**

PART - V

APPOINTMENT, PROBATION, CONFERMATION AND SENIORITY

ppointment 8. The appointing authority shall make appointment by taking names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 7 as the case may be.

robation 9. (1) A person on appointment to a post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which extension is granted:

Provided that except in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation 10. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if -

(a) he has passed the prescribed departmental examination, if any:

(b) he has successfully undergone the prescribed training if, any;

(c) his work and conduct are reported to be satisfactory;

(d) his integrity is certified; and

(e) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

11. (1) Except as hereinafter provided, the seniority of any persons shall be determined according the provisions of the Uttarakhand Government Servant (Determination of Seniority) Rules, 2002. If two or more persons are appointed together then his seniority shall be determent by such order in which there names are arranged in the appointment order;

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date, will be deemed to be the date of order of substantive appointments and in other case, it will mean the date of issue of the order

(2) The seniority *inter se* of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(3) Where appointments are both by promotion and direct recruitment or from more than one source and the respective quota of the source is prescribed, the *inter se* seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance with rule 20, in such manner that the prescribed percentage is maintained;

Provided that

(a) where appointments from any sources are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, from seniority to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota;

(b) where appointments from any sources fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons

so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointment are made. So however, that in the combined list of the year to be prepared under this rule, there name shall be placed at the top follows by the names, in the cyclic order of the other appointees:

(c) where in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vacancies from any source could in the circumstances mentioned in that relevant rules or procedure be filled from the other source and appointment in excess are quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of the very year as if they are appointed against the vacancies quota.

PART – VI

PAY ETC.

Scales of pay

12. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measures, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of Commencement of those rules shall be given in **Scheduled "B"**:

Pay during probation

13. (1) Notwithstanding any provision in the Fuhdamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service, when he has completed the prescribed period and is also confirmed:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules.

(3) The pay during probation of a person, who was already in permanent Government service, shall be applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the state.

PART - VII

Other Provisions

Canvassing 14. No recommendation either written or oral other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly for this candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters 15. In regard to the matters not specially conveyed by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to the Government Servants serving in connection with affaire of the State.

Relaxation from the conditions of service 16. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes under hardship in any particular case it may notwithstanding any thing contained in the rules applicable to the case, by order dispense with or relax the requirement of that rule to such extent and subject to such condition, it may consider necessary for dealing with case in a just an equitable manner.

Savings 17. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidate belonging, to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other special categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with the order of the Government issued from time to time in this regard.

Scheduled "A"

[See rule 4 of sub-rule (2)]

S. N.	Post	Total Sanctioned post	Permanent	Temporary
1.	Assistant Inspector General, Registration	5	4	1
2.	Deputy Inspector General, Registration	1	1	-
3.	Additional Inspector General, Registration	1	-	1

Scheduled "B"

[See rule 12 of sub-rule (2)]

Pay-Scale

S. No.	Name of Post	Pay Band + Grade Pay
1.	Additional Inspector General Registration	37,400 - 67,000 + 8,700
2.	Deputy Inspector General Registration	15,600 - 39,100 + 7,600
3.	Assistant Inspector General Registration	15,600 - 39,100 + 6,600

By Order,
RADHA RATURI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 वित्त/332–2011–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।